कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–I/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री रजनीश मिश्रा	लैब टैक्नीशियन	जिला चिकि0 नैनीताल	सामु0स्वा0के0 रामगढ, नैनीताल	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 15779 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमॉऊ मण्डल नैनीताल।
2– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल।
3– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 नैनीताल।
4– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
5– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6– गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 देहरादून दिनांक– जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–I/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती कुसुम रावत	लैब टैक्नीशियन	जिला चिकि0 देहरादून	जिला चिकि0 रूद्रप्रयाग	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 15776 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
2– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/ रूद्रप्रयाग।
3– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 देहरादून/जिला चिकि0 रूद्रप्रयाग।
4– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/रूद्रप्रयाग।
5– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6– गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–I/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री नरेन्द्र पाल	लैब टैक्नीशियन	प्रा0स्वा0के0 मखदूमपुर, हरिद्वार	सामु0स्वा0के0 खाड़ी टिहरी	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 15781 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
2– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार/टिहरी।
3– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/टिहरी।
4– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
5– गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 देहरादून दिनांक– 16 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–I/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री किशोर बिष्ट	लैब टैक्नीशियन	सामु0स्वा0के0 दुगडडा, पौड़ी	सामु0स्वा0के0 रिखण्डीखाल, पौडी	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 15783 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौडी।
2– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौडी।
3– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौडी।
4– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
5– गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–I/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री आशीष चन्द्र किमोठी	लैब टैक्नीशियन	जिला मलेरिया अधिकारी देहरादून	उप जिला चिकि0 कर्णप्रयाग, चमोली	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 15785 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौडी।
2– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/ चमोली।
3– जिला मलेरिया अधिकारी, देहरादून।
4– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि0 कर्णप्रयाग, चमोली।
4– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/चमोली।
5– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6– गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–I/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	अजय कुमार मौर्य	लैब टैक्नीशियन	सामु0स्वा0के0 मंगलौर, हरिद्वार	सामु0स्वा0के0 अगस्त्यमुनी, रूद्रप्रयाग	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 15787 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
2– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार/रूद्रप्रयाग।
3– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/रूद्रप्रयाग।
4– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
5– गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–I/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री बसन्त बल्लब लोहनी	लैब टैक्नीशियन	प्रा0स्वा0के0 लालकुआँ, नैनीताल	उप जिला चिकि0 रानीखेत, अल्मोडा	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 15789 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमॉऊ मण्डल नैनीताल।
2– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/अल्मोडा।
3– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि0 रानीखेत, अल्मोडा।
4– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/अल्मोडा।
5– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6– गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 देहरादून दिनांक– जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती सरिता बिजल्वाण	लैब टैक्नीशियन	उप जिला चिकि0 प्रेमनगर, देहरादून	जिला चिकि0 पौडी	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 15791 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौडी।
2– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/ पौडी।
3– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि0 प्रेमनगर, देहरादून/जिला चिकि0 पौडी।
4– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/पौडी।
5– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6– गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 देहरादून दिनांक– 16 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–I/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री गजेन्द्र मनवाल	लैब टैक्नीशियन	उप जिला चिकि0 ऋषिकेश, देहरादून	अधीन मु0चिकि0अ0 टिहरी, प्रा0स्वा0के0 डोबरा टिहरी	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 15793 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
2– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/ टिहरी।
3– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि0 ऋषिकेश, देहरादून।
4– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/टिहरी।
5– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6– गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025–E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–I/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री प्रकाश सिंह	लैब टैक्नीशियन	सामु0स्वा0के0 लक्सर, हरिद्वार	सामु0स्वा0के0 जोशीमठ, चमोली	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 15795 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौडी।
2– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार/ चमोली।
3– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/चमोली।
4– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
5– गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–I/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री महावीर सिंह	लैब टैक्नीशियन	जिला चिकि0 हरिद्वार	सामु0स्वा0के0 जहरीखाल, पौडी	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 15797 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौडी।
2– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार/पौडी
3– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 हरिद्वार।
4– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/पौडी।
5– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6– गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 देहरादून दिनांक– 16 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–I/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री कुवेर सिंह	लैब टैक्नीशियन	टी0बी0 क्लीनिक हल्द्वानी, नैनीताल	सामु0स्वा0केन्द्र, लमगड़ा अल्मोड़ा	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 15799 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमॉऊ मण्डल नैनीताल।
2– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/अल्मोडा।
3– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/अल्मोडा।
4– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
5– गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–I/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती मीनाक्षी	लैब टैक्नीशियन	जिला चिकि0 देहरादून	सामु0स्वा0के0 फकोट, टिहरी	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 / 15801 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौडी।
2– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/टिहरी।
3– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 देहरादून।
4– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/टिहरी।
5– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6– गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 देहरादून दिनांक– 16 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री प्रभाकर सिंह	लैब टैक्नीशियन	सामु0स्वा0के0 गदरपुर, ऊधमसिंह नगर	जिला चिकि0 चम्पावत	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 15803 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमॉऊं मण्डल नैनीताल।
2– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ऊधमसिंह नगर/चम्पावत।
3– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 चम्पावत।
4– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, ऊधमसिंह नगर/चम्पावत।
5– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6– गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–I/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती रूचि डोभाल	लैब टैक्नीशियन	उप जिला चिकि0 ऋषिकेश, देहरादून	सामु0स्वा0के0 घण्डियाल, पौडी	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 15805 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौडी।
2– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/पौडी।
3– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि0 ऋषिकेश, देहरादून।
4– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/पौडी।
5– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6– गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–।/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री कुलदीप भण्डारी	लैब टैक्नीशियन	सामु0स्वा0के0 रायपुर, देहरादून	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी दुर्गम स्थान	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 15807 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौडी।
2– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/टिहरी।
3– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/टिहरी।
4– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
5– गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 देहरादून दिनांक– 16 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–I/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री संजय सिंह पयाल	लैब टैक्नीशियन	जिला क्षयरोग चिकि0 नरेन्द्र नगर टिहरी	सामु0स्वा0के0 जखोली, रूद्रप्रयाग	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 15809 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौडी।
2– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी/रूद्रप्रयाग।
3– जिला क्षयरोग नियंत्रण अधिकारी, नरेन्द्र नगर, टिहरी।
4– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी/रूद्रप्रयागं
5– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6– गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता	लैब टैक्नीशियन	जिला कुष्ठ अधिकारी ऊधमसिंह नगर	जिला चिकि0 पिथौरागढ	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 15811 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमॉऊ मण्डल नैनीताल।
2– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ऊधमसिंह नगर/पिथौरागढ।
3– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 पिथौरागढ।
4– जिला कुष्ठ अधिकारी, उधमसिंह नगर।
5– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, ऊधमसिंह नगर/पिथौरागढ।
6– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7– गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–I/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री गुंजन पंत	लैब टैक्नीशियन	जिला चिकि0 नैनीताल	सामु0स्वा0के0 ओखलकाण्डा, नैनीताल	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 15813 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमॉऊ मण्डल नैनीताल।
2– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल।
3– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 नैनीताल।
4– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
5– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6– गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–I/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती शीला जोशी	लैब टैक्नीशियन	जिला कुष्ठ इकाई नैनीताल	अधीन मु0चिकि0अ0 नैनीताल दुर्गम क्षेत्र	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 15815 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमॉऊ मण्डल नैनीताल।
2– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल।
3– जिला कुष्ठ अधिकारी नैनीताल।
4– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
5– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6– गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–I/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री अनूप लोहनी	लैब टैक्नीशियन	सामु0स्वा0के0 भवाली, नैनीताल	जिला चिकि0 पिथौरागढ़	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 15817 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमॉऊ मण्डल नैनीताल।
2– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/पिथौरागढ़।
3– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 पिथौरागढ़।
3– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/पिथौरागढ़।
4– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
5– गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–I/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री चन्द्र प्रकाश रावत	लैब टैक्नीशियन	सामु0स्वा0के0 मालधन चौड़ नैनीताल	उप जिला चिकि0 धारचूला पिथौरागढ़	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 15819 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमॉऊ मण्डल नैनीताल।
2– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/पिथौरागढ़।
3– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि0 धारचूला, पिथौरागढ़।
4– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/पिथौरागढ़।
5– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6– गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–I/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री पुनीथ माथुर	लैब टैक्नीशियन	जिला चिकि0 रूद्रपुर, उधमसिंह नगर	सामु0स्वा0के0 डीडीहाट, पिथौरागढ़	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 15821 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमॉऊ मण्डल नैनीताल।
2– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उधमसिंह नगर/पिथौरागढ़।
3– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 रूद्रपुर उधमसिंह नगर।
4– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उधमसिंह नगर/पिथौरागढ़।
5– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6– गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 देहरादून दिनांक– 18 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–I/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री सत्येन्द्र कुमार यादव	लैब टैक्नीशियन	टी0 बी0 क्लीनिक रूद्रपुर उधमसिंह नगर	टी0बी0 क्लीनिक बागेश्वर	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 15823 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमॉऊ मण्डल नैनीताल।
2– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उधमसिंह नगर/बागेश्वर।
3– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उधमसिंह नगर/बागेश्वर।
4– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
5– गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती रश्मि उनियाल	लैब टैक्नीशियन	राज्य क्षयरोग प्रशिक्षण केन्द्र चन्दर नगर, देहरादून	सामु0स्वा0के0 बडकोट, उत्तरकाशी	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 15825 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
2– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/उत्तरकाशी।
3– राज्य क्षय नियंत्रक अधिकारी, राज्य क्षयरोग प्रशिक्षण केन्द्र, चन्दर नगर, देहरादून।
4– आहरण वितरण अधिकारी, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय देहरादून।
5– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/उत्तरकाशी।
6– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7– गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री दिगम्बर सिंह ज्याला	लैब टैक्नीशियन	उप जिला चिकि0 खटीमा	उप जिला चिकि0 लोहाघाट चम्पावत	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 15827 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमॉऊ मण्डल नैनीताल।
2– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उधमसिंह नगर/चम्पावत।
3– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि0 खटीमा/उप जिला चिकि0 लोहाघाट चम्पावत।
4– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उधमसिंह नगर/चम्पावत।
5– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6– गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–I/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री सुभाष चन्द्र	लैब टैक्नीशियन	उप जिला चिकि0 नरेन्द्र नगर टिहरी	सामु0स्वा0के0 डुण्डा उत्तरकाशी	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 15829 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
2– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी/उत्तरकाशी।
3– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि0 नरेन्द्र नगर, टिहरी।
4– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी/उत्तरकाशी।
5– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6– गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 देहरादून दिनांक– 1 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री चन्द्र शेखर उप्रेती	लैब टैक्नीशियन	प्रा0स्वा0के0 मोटाहल्दू, नैनीताल	उप जिला चिकि0 सोमेश्वर अल्मोड़ा	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 1583/ तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमॉऊ मण्डल नैनीताल।
2– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोड़ा/नैनीताल।
3– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि0 सोमेश्वर अल्मोड़ा।
4– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा/नैनीताल।
5– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6– गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–I/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती अनुपाल	लैब टैक्नीशियन	सामु0स्वा0के0 डोईवाला देहरादून	जिला चिकि0 पौड़ी	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 15833 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
2– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
3– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 पौड़ी।
4– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
5– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6– गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–I/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री अरविन्द तोपाल	लैब टैक्नीशियन	उप जिला चिकि0 ऋषिकेश देहरादून	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी टिहरी दुर्गम क्षेत्र	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 15835 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परियार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
2– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/टिहरी।
3– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि0 ऋषिकेश, देहरादून।
4– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/टिहरी।
5– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6– गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–I/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री भानु प्रकाश बहुगुणा	लैब टैक्नीशियन	उप जिला चिकि0 विकासनगर देहरादून	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी पौड़ी दुर्गम क्षेत्र	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 15837 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
2– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
3– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि0 विकासनगर, देहरादून।
4– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
5– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6– गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 देहरादून दिनांक– /6 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–I/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती रेनुका वरूण	लैब टैक्नीशियन	सामु0स्वा0के0 कालाढूंगी, नैनीताल	जिला चिकि0 चम्पावत	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 15839 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमॉऊ मण्डल नैनीताल।
2– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/चम्पावत।
3– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 चम्पावत।
4– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/चम्पावत।
5– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6– गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–I/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री महेश बतखेती	लैब टैक्नीशियन	बेस चिकि0 हल्द्वानी, नैनीताल	जिला चिकि0 पिथौरागढ़	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 13841 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमॉऊ मण्डल नैनीताल।
2– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/पिथौरागढ़।
3– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 पिथौरागढ़/बेस चिकि0 हल्द्वानी, नैनीताल।
4– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/पिथौरागढ़।
5– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6– गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–I/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री नरेश सिंह चौहान	लैब टैक्नीशियन	बेस चिकि0 हल्द्वानी, नैनीताल	सामु0स्वा0के0 द्वाराहाट, अल्मोड़ा	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 15843 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमॉऊ मण्डल नैनीताल।
2– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/अल्मोड़ा।
3– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, बेस चिकि0 हल्द्वानी, नैनीताल।
4– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/अल्मोड़ा।
5– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6– गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती केना तिवारी	लैब टैक्नीशियन	बेस चिकि0 हल्द्वानी, नैनीताल	जिला चिकि0 बागेश्वर	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 15845 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमॉऊ मण्डल नैनीताल।
2– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/बागेश्वर।
3– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, बेस चिकि0 हल्द्वानी, नैनीताल/जिला चिकि0 बागेश्वर।
4– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/बागेश्वर।
5– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6– गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री बलबीर सिंह	लैब टैक्नीशियन	जिला चिकि0 रुद्रप्रयाग	टी0बी0 क्लीनिक देहरादून	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 15841 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
2– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रुद्रप्रयाग/देहरादून।
3– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 रुद्रप्रयाग।
4– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, रुद्रप्रयाग/देहरादून।
5– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6– गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–I/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री कलपेश्वर मिश्रा	लैब टैक्नीशियन	सामु0 स्वा0 के0 कोट, पौडी	उप जिला चिकि0 कोटद्वार पौडी।	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के बिरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 15849 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौडी।
2– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौडी।
3– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि0 कोटद्वार पौडी।
4– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौडी।
5– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6– गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 देहरादून दिनांक– 16 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री आनन्द सिंह बिष्ट	लैब टैक्नीशियन	सामु0 स्वा0 के0 लमगडा अल्मोडा।	उप जिला चिकि0 रामनगर नैनीताल।	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका मे तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध, कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 15851 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमांऊ मण्डल नैनीताल।
2– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोडा/नैनीताल।
3– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि0 रामनगर नैनीताल।
4– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोडा/नैनीताल।
5– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6– गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री गणेश दत्त	लैब टैक्नीशियन	सामु0 स्वा0 के0 द्वाराहाट, अल्मोडा।	जिला चिकि0 नैनीताल।	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 15853 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊं मण्डल नैनीताल।
2– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोडा/नैनीताल।
3– प्रमुख/मुख्य चिकि0अधीक्षक जिला चिकि0 नैनीताल।
4– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोडा/नैनीताल।
5– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6– गार्ड फाईल।

M.
(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री देवेन्द्र दोसाद	लैब टैक्नीशियन	जिला चिकि0 बागेश्वर।	सामु0स्वा0के0 बैजनाथ, बागेश्वर।	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 15855 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊं मण्डल नैनीताल।
2– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागेश्वर।
3– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 बागेश्वर।
4– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर।
5– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6– गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–।/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री आशुतोष धपोला	लैब टैक्नीशियन	टी0बी0 क्लीनिक बागेश्वर।	जिला चिकि0 रूद्रपुर।	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 15857 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊं मण्डल नैनीताल।
2– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागेश्वर/ऊधमसिंह नगर
3– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 रूद्रपुर।
4– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर/रूद्रपुर।
5– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6– गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–I/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री किशोर सिंह रौतेला	लैब टैक्नीशियन	उप जिला चिकि0 रानीखेत अल्मोडा।	जिला चिकि0 नैनीताल।	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 15859 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमांऊ मण्डल नैनीताल।
2– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोडा/नैनीताल।
3– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि0 रानीखेत, अल्मोडा/जिला चिकि0 नैनीताल।
4– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोडा/नैनीताल।
5– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6– गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री अजय सिंह महरा	लैब टैक्नीशियन	उप जिला चिकि0 रानीखेत अल्मोडा।	उप जिला चिकि0 कोटद्वार पौडी।	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 1586/ तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमांऊ मण्डल नैनीताल/गढवाल मण्डल पौडी।
2– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोडा/पौडी।
3– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि0 रानीखेत अल्मोडा/उप जिला चिकि0कोटद्वार पौडी।
4– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोडा/पौडी।
5– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6– गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प / पैरा / L.T. / 10 / 2025 देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12 / XXXVI(3) / 2018 / 20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30 / XXX–2 / 2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747 / XXX (2) / 2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–1 / 289938/XXX (2) / 2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री विशाल सिंह	लैब टैक्नीशियन	प्रा0स्वा0के0 फकोट, टिहरी।	सामु0स्वा0के0 मंगलौर हरिद्वार।	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त / ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प / पैरा / L.T. / 10 / 2025 15863 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
2– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी / हरिद्वार।
3– मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी / हरिद्वार।
5– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6– गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री प्रमोद सिंह चौहान	लैब टैक्नीशियन	सामु0स्वा0के0 बैलेश्वर, टिहरी	सामु0स्वा0के0 लक्सर, हरिद्वार।	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 15865 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
2– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी/हरिद्वार।
3– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी/हरिद्वार।
4– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
5– गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री नरेन्द्र भट्ट	लैब टैक्नीशियन	सामु0स्वा0के0 छाम, टिहरी	जिला चिकि0 हरिद्वार।	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 15867 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
2– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी/हरिद्वार।
3– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 हरिद्वार।
4– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी/ हरिद्वार।
5– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6– गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री सुनील बिष्ट	लैब टैक्नीशियन	जिला क्षय नियंत्रण केन्द्र रूद्रप्रयाग।	उप जिला चिकि0 नरेन्द्र नगर टिहरी।	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 15869 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
2– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रूद्रप्रयाग/टिहरी
3– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला क्षय नियंत्रण अधिकारी रूद्रप्रयाग/ उप जिला चिकि0 नरेन्द्र नगर टिहरी।
4– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, रूद्रप्रयाग/टिहरी।
5– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6– गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–I/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री प्रदीप सिंह रावत	लैब टैक्नीशियन	प्रा0स्वा0के0 डाडामण्डी, पौडी।	उप जिला चिकि0 कोटद्वार, पौडी।	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 15871 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल पौडी।
2– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौडी।
3– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि0 कोटद्वार पौडी।
4– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौडी।
5– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6– गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–1/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन सवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री नितिन शर्मा	लैब टैक्नीशियन	जिला चिकि0 उत्तरकाशी।	सामु0स्वा0के0 यमकेश्वर, पौडी।	निजी अनुरोध

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

3– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्रण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

4– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 15873 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल पौडी।
2– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तरकाशी/ पौडी।
3– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 उत्तरकाशी।
4– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरकाशी/ पौडी।
5– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6– गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747/XXX (2)/2025–E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–I/289938/XXX (2)/2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम मे निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री ललित मोहन	लैब टैक्नीशियन	उप जिला चिकि0 मसूरी, देहरादून।	सामु0स्वा0के0 रायपुर देहरादून।	निजी अनुरोध

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

3– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

4– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा/L.T./10/2025 15875 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
2– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून।
3– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि0 मसूरी देहरादून।
4– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6– गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प / पैरा / L.T. / 10 / 2025 देहरादून दिनांक– 10 जून, 2025

–:आदेश:–

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या–12 / XXXVI(3) / 2018 / 20(1) 2017 दिनांक–05 जनवरी 2018, शासनादेश संख्या–30 / XXX–2 / 2018–30(13) 2017, दिनांक–06 फरवरी, 2018, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–282747 / XXX (2) / 2025-E-20917 दिनांक–17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या–1 / 289938/XXX (2) / 2025 E-33080, दिनांक–15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–04 से कॉलम–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री राजेश कुमार जगूड़ी।	लैब टैक्नीशियन	जिला चिकि0 पौड़ी।	जिला चिकि0 उत्तरकाशी।	निजी अनुरोध

1– सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त / ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

2– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

3– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्रण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

4– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प / पैरा / L.T. / 10 / 2025 15877 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
2– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी / उत्तरकाशी।
3– प्रमुख / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 पौड़ी / जिला चिकि0 उत्तरकाशी।
4– मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी / उत्तरकाशी
5– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6– गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)